जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या 11/2016 अनवानी स्नेहलता पत्नि तिलकराज जाति अरोडा निवासी 1/365 हाउसिंग बोर्ड श्यामनगर पुरानी आबादी श्रीगंगानगर बनाम 1–रोहित पुत्र तिलकराज जाति अरोड़ा निवासी 1/365 हाउसिंग बोर्ड, श्यामनगर, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर 2–नीरू पत्नि रोहित पुत्र तिलकराज जाति अरोडा निवासी 1/365 हाउसिंग बोर्ड श्यामनगर पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06–02–2017

अपीलार्थीया स्नेहलता व रेस्पोडेन्टस रोहित व नीरू उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया स्नेहलता का कथन था कि उसके द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 28.06.2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पेश किया था कि वह 60 साल की वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है और उसने जरिये ईकरारनामा दिनांक 30.04.96 को एक मकान न. 1/365 हाउसिंग बोर्ड श्यामनगर पुरानी आबादी श्रीगंगानगर पैमायशी 6 इन्टू 11.25 मीटर उतर दिशा में खुलता हुआ है जो उसका क्रय शुदा है जो कि तीन कमरो का बना हुआ है। जिस पर खरीद की दिनांक से ही वह काबिज चली आ रही है। उसका कथन था कि रेस्पो0 सं0 1–रोहित, जो कि अपीलार्थीया का पुत्र है और रेस्पो0 सं0 2–नीरू उसकी पुत्रवधु है दोनो मिलकर उसका मकान हड़पना चाहते है और दो माह पूर्व मकान पर उनके द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है और मकान अपने नाम करवाने के लिए रेस्पोडेन्टस उसके विरूद्ध झूठे मुकदमें करवाते रहते है और मारपीट करते है। इसलिए उसका प्रा0 पत्र स्वीकार कर रेस्पोडेन्टस (अप्रार्थीगण) को बेदखल किया जाकर उसे कब्जा दिलाया जावे।

उसका आगे कथन था कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने उसका प्रा0 पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वह 50 वर्ष की है और वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नही आती है जबकि माता पिता के लिए वरिष्ठ नागरिक होना आवश्यक नही है। माता पिता अपनी संतान से अपना भरण पोषण और अपनी सम्पति के संबंध में कार्यवाही कर सकती है। उक्त विवादित मकान उसका क्रय शुदा है। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जावे और उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 04.08.2016 निरस्त किया जावे और मकान खाली करवाया जाकर कब्जा उसे दिलवाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट रोहित व नीरू की ओर से कथन था कि रेस्पो0 सं0 2 नीरू पुत्रवधु है और उक्त माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की जा सकती। उनका आगे कथन था कि अपीलार्थीया 50 वर्ष की है और वह वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नही आती है और वह आरकेस्ट्रा का कार्य करती है जिससे उसे 50 हजार रूपये प्रतिमाह आमदनी होती है और उसके पास यूनियन बैंक में 10 लाख की एफडीआर भी है उसे किसी प्रकार के भरण पोषण की आवश्यकता नही है। इसलिए उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा उसका प्रा0 पत्र सही रूप से खारिज किया गया है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्ट
श्रीगंगानगर
11/2016

उनके आगे यह भी कथन था कि अपीलार्थीया के पास बठिण्डा, मलोट व चण्डीगढ में भी एक एक मकान है। उसके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी है जो खारिज की जावे। उनका यह भी कथन था कि विवादग्रस्त मकान रेस्पों0 सं0 1–रोहित के दादा ने अपीलार्थीया को खरीद कर दिया था, जो जदी जायदाद है और रेस्पो0 सं0 1 का उक्त मकान में जन्म से ही हिस्सा है और वह जन्म से ही उक्त मकान में रहता आ रहा है और विवाह के बाद अपनी पत्नि नीरू के साथ उक्त मकान में ही निवास करता आ रहा है। अपीलार्थीया जान बूझकर उन्हे परेशान करती है और झूठी दरखास्ते पेश करती रहती है और उनके विरूद्ध झूठे मुकदमें दर्ज करवाती रहती है। इसलिए अपीलार्थीया की अपील खारिज की जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजि0 (भरण पोषण अधिकरण) श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलार्थीया ने दिनांक 28.06.2016 को एक प्रा0 पत्र माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का कल्याण अधिनियम 2007 धारा 23 के तहत इस आश्य का पेश किया कि वह 60 वर्ष की एक वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है और उसके नाम से दिनांक 30.04.96 के ईकरारनामा के द्वारा ओमप्रकाश पुत्र टालाराम डोडा से मक़ान न0 1/365 हाउसिंग बोर्ड, श्याम नगर, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर का पैमायशी 6 इन्टू 11.25 मीटर उतर दिशा में खुलता हुआ क्रय शुदा है जिस पर रेस्पोडेन्टस उसके पुत्र रोहित व पुत्रवधु नीरू मकान को हडपना चाहते है और दो माह पूर्व उन्होने कब्जा कर लिया है और आगे उसे बेच देंगें। इसलिए उसका प्रा0 पत्र स्वीकार किया जावे और मकान का कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे। उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात दिनांक 04.08.2016 को निम्न आदेश पारित किया गयाः–

> **हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र मय सलंग्न दस्तावेजात एवं अप्रार्थीगण के जबाब का अवलोकन किया। अप्रार्थीयान की ओर से प्रार्थीया की उम्र के बारे में जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है, के अनुसार प्रार्थीया की उम्र 50 वर्ष ही है जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नही आती है। प्रार्थीया अप्रार्थी सं0 2 पुत्रवधु से भरणपोषण के अन्तर्गत कार्यवाही नही कर सकती है। वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र में चाही गई अनुतोष प्रार्थीया के दस्तावेज सक्षम नही होने के कारण दिया जाना संभव नही है। इसलिए प्रा0 पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया मकान खाली करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकती है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।**

अपीलार्थीया ने अधिनस्थ न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2016 अपने मकान न. 1/365 हाउसिंग बोर्ड, श्यामनगर, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर पैमायशी 6 इन्टू 11.25 मीटर पर अप्रार्थीगण के अनाधिकृत कब्जा छुडवाकर वापिस दिलवाने की प्रार्थना के साथ पेश किया था।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्ट
श्रीगंगानगर
11/2016

माता पिता व वरिष्ठ नागरिक का कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 निम्न प्रकार से है:–

> **23. कुछ परिस्थितियों में सम्पति का अन्तरण शून्य होगाः–** (1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात **दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है** कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधांओ और शारीरिक आवश्यकतांओ को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असभयक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

उक्त धारा के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने के लिए आवेदक वरिष्ठ नागरिक हो और उसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पति का इस शर्त के अधीन अन्तरण किया हो कि अन्तरिति अन्तरक को मूलभूत सुविधांओ और मूलभूत शारिरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा।

इस मामले में यह देखा जाना आवश्यक है कि **क्या अपीलार्थीया उक्त अधिनियम 2007 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है अथवा नही? यदि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती है तो क्या वह रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इस संबंध में अधिनियम में दी गई वरिष्ठ नागरिक/माता–पिता व संतान की परिभाषा पर विचार करना आवश्यक होगाः–**

धारा 2(ज) "वरिष्ठ नागरिक" से ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर लिया है अभिप्रेत है।

धारा 2(छ) "सम्बन्धी" से अभिप्रेत है सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक उतराधिकारी, जो अवयस्क नही है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पति का कब्जाधारी में है या को उतराधिकार में प्राप्त करेगा।

धारा 2(घ) "माता–पिता" से ऐसे माता या पिता अभिप्रेत है, जो जैविक, दत्कग्राही या सौतेला पिता या सौतेली माता, यथास्थिति, हों, चाहे पिता या माता वरिष्ठ नागरिक है या नही।

धारा 2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नही है।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में स्नेहलता ने माता के रूप में धारा 23 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अपने पुत्र अप्रार्थी सं0 1–रोहित व अप्रार्थी सं0 2–नीरू पुत्र वधु के विरूद्ध अपने उक्त मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए पेश किया था जिसमें अपीलार्थीया की आयु 60 वर्ष से कम अर्थात 50 वर्ष की मानकर उसे वरिष्ठ नागरिक न मानकर उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो अधिनियम की धारा 2(घ) के विपरीत है। उक्त धारा के तहत माता पिता के लिए आयु 60 साल की हेाना आवश्यक नही है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थीया वरिष्ठ नागरिक नही है, सही नही है।

2/11/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11/2016

जहां तक अप्रार्थी सं0 2—नीरू पुत्रवधु के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है अधिनियम के अन्तर्गत माता पिता अपनी संतान के विरूद्ध ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। धारा 2(क) में संतान की दी गई परिभाषा के अनुसार पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री सम्मिलित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संतान की परिभाषा में पुत्रवधु सम्मिलित नही है। इसलिए अप्रार्थी/रेस्पो0 सं0 2 नीरू पुत्रवधु के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नही की जा सकती। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल. आर. (एससी) पेज 726 स्टेट ऑफ बिहार आदि बनाम अरविन्द्र कुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये हैः—

> **13. In** Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, **this Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions.** The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors..; AIR 2002 SC 629].

चूंकि रेस्पो0 सं0 2—नीरू जो कि पुत्रवधु है और वह उक्त अधिनियम 2007 में दी गई संतान की परिभाषा में नही आती है, के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार भी किसी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत कोई आदेश नही दिये जा सकते। इसलिए अपीलार्थीया, रेस्पो0 सं0 2—नीरू पुत्रवधु के विरूद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने के लिए सक्षम नही है। इसलिए संतान की परिभाषा के तहत केवल अप्रार्थी/रेस्पो0 1—रोहित पुत्र के विरूद्ध ही कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए अपीलार्थीया की अपील अप्रार्थी/रेस्पो0 सं0 1 रोहित के विरूद्ध ही आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील रेस्पो0 सं0—1 रोहित के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2016 निरस्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 23 पर अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार ही अप्रार्थी सं0 1—रोहित की हद तक पुनः विचार कर और अप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्टस को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

434-437
21/02/2017

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर